ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 95-97**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

भारत में घटती जन्म दर कारण, प्रभाव व समाधान

डॉ0 चन्द्रशेखर

प्राचार्य– (एम0ए0, पी–एच0डी0, भूगोल), सूरदास ब्रजरानी मैमोरियल महाविद्यालय, सूरकुटी, रूनकता– आगरा, सम्बद्ध : डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0) भारत

Received-09.04.2026, Revised-18.04.2026, Accepted-22.05.2026, **E-mail:drcsrathore.agv@gmail.com**

सारांशः वर्तमान में भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 147 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का 17.8 प्रतिशत है। यानी दुनिया का हर छटा व्यक्ति भारतीय है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की 2025 की 'स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशनः द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस' रिपोर्ट इस उभरती हुई वास्तविकता पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 जन्म प्रति महिला रह गई है, जो कि 2.1 की प्रतिस्थापन से काफी नीचे है। यह एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव है, जो दर्शाता है कि देश अब जनसंख्या स्थिरता या सम्भावित गिरावट की ओर अग्रसर है, यह रूझान न केवल भारत के लिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दूरगामी परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि भारत वर्तमान में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन के निहितार्थों को समझना, इसके अंतर्निहित कारणों की पड़ताल करना और प्रभावी नीतिगत प्रतिक्रियायें, तैयार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

कुंजीभूत शब्द– घटती जन्म दर, वैश्विक स्तर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, प्रजनन दर, प्रतिस्थापन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, नब्ज।

हमारा देश अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधिताओं के लिए भी विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ जनसंख्या केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की नब्ज है, जो इसकी नियति को आकार देती है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है, जिसने एक समय देश के संसाधनों पर भारी दबाव डाला था, हालांकि जैसे–जैसे हम इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में आगे बढ़ रहे है एक नई और अधिक शूक्ष्म चुनौती समाने आ रही है। प्रजनन दर में लगातार गिरावट यदि सही ढंग से विकास प्रक्षेप वक्र को अत्यधिक प्रभावित कर सकती है।

प्रतिस्थापन स्तर के नीचे गिरना–अर्थ और दूरगामी प्रभाव– प्रतिस्थापन स्तर की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.1 को सार्वभौमिक रूप से उस बिन्दु के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिस पर प्रत्येक माता–पिता की संख्या को अगली पीढ़ी में संतुलित किया जा सकता है। जिससे जनसंख्या के स्थिर रखा सके। यह दर बच्चे में जन्म के समय कुछ मृत्युदर को भी ध्यान रखती है। जब किसी देश की प्रजनन दर इस स्तर से नीचे गिर जाती है तो इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले दशकों में उसकी कुल जनंसख्या अंततः कम होने लगेगी, बशर्ते प्रवासन द्वारा इसकी भरपाई पूरी न की जाए। भारत में TFR का 1.9 तक गिरना एक स्पष्ट संकेत है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी तो यह विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश को 'युवा बहुल' से 'वृद्धजन बहुल' राष्ट्र में बदल सकता है। इस बदलाव के कई गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव श्रमशक्ति में कमी का है। एक घटती हुई युवा आबादी का अर्थ है कि उपलब्ध कार्यबल छोटा हो जायेगा, जिससे आर्थिक उत्पादकता, नवाचार और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उद्योगों को कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बढ़ती हुई वृद्धजन आबादी देश के सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर भारी दबाव डालेगी। पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल लागत और विशिष्ट सेवाओं की बढ़ती माँग के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो युवा करदाताओं की घटती संख्या के कारण एक चुनौती बन सकती है।

भारत को वर्तमान में अपने विशाल कार्यबल (15–64 वर्ष) के आधार पर जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है। ईवाई के एक आंकलन के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा 68.9 (1.04 अरब जनसंख्या) होगा। इसके चलते आश्रित जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2030 में 31.2% के न्यूनतम स्तर पर होगा। यह एक ऐसा चरण है जहाँ कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (बच्चों और बुर्जुगों) की तुलना में अधिक होती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। हालांकि यदि वर्तमान प्रजनन दर बनी रहती है, तो यह लाभांश धीरे–धीरे समाप्त हो जायेगा और भारत भी उन विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जायेगा, जो अब जनसंख्या की कमी और बढ़ती उम्र के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

भारत में घटती प्रजनन दर के अंतर्निहित कारण– भारत में जन्मदर में गिरावट किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह कई परस्पर जुड़े सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी कारकों का एक जटिल मिश्रण हैः

1. आर्थिक सीमाएँ और बढ़ती जीवन यापन की लागतः UNFPA रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% उत्तरदाताओं ने वित्तीय कारणों को अपने परिवार नियोजन में सबसे बड़ी बाधा बताया। यह एक महत्वपूर्ण आँकड़ा है, जो बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता और जीवन यापन की बढ़ती लागत को दर्शाता है। आज भारत में बच्चे पालना पहले से कहीं अधिक महँगा हो गया है। महँगी शिक्षा (प्री–स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक), स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता खर्च और जीवन यापन की समग्र लागत (आवास, भोजन, परिवहन) ने परिवारों को छोटे परिवादों में रहने को मजबूर किया है। माता–पिता अपने बच्चों में अक्सर सर्वोच्च अवसर प्रदान करना चाहते है और सीमित वित्तीय संसाधन उन्हें कम बच्चों लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे प्रत्येक बच्चे की जरूरतों में बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त रोजगार की अस्थिरता (21%), आवास की समस्यायें (22%) और गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं की कमी (18%) जैसे कारक भी युवा परिवारों के लिए माता–पिता बनने का निर्णय कठिन बनाते हैं। युवा दम्पत्ति अक्सर अपने कैरियर को स्थिर करने और वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए शादी और बच्चे पैदा करने में देरी करते हैं।

2. स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणः प्रजनन स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दे भी इस गिरावट में योगदान करते हैं। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सामान्य अस्वस्थता (15%), बाँझपन (13%) और गर्भावस्था सम्बन्धी सेवाओं की अनुपलब्धता (14%) भी प्रजनन दर से गिरावट का कारण है। बांझपन विशेष रूप से एक बढ़ती हुई चिंता है, जो जीवनशैली कारकों, पर्यावरणीय प्रभावों और चिकित्सा स्थितियों से जुड़ी हो सकती है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच या उनकी गुणवत्ता की कमी भी उन जोड़ों के लिए बाधा बन सकती है, जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं।

3. सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन और बदलती आकांक्षाएँः आधुनिक भारत में विवाह की उम्र में देरी तक स्पष्ट प्रवृत्ति है। शिक्षा और कैरियर के अवसरों तक महिलाओं की बेहतर पहुँच ने उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने और कार्यबल में शामिल होने के लिए

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

सशक्त बनाया है। महिलाओं की बढ़ती शिक्षा और आर्थिक भागीदारी ने उनकी प्राथमिकताएँ बदल दी हैं। वे अब अपनी पढ़ाई, कैरियर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मातृत्व पर प्राथमिकता देने लगी हैं, जिससे वे या तो मातृत्व को टाल रही है या सीमित कर रही हैं। यह एक सकारात्मक विकास है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप प्रजनन निर्णयों पर भी प्रभाव पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 19% लोग परिवार या साथी के दबाव में अपनी मनचाही संतान संख्या से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे प्रजनन अधिकरों की स्वंतत्रता पर सीधा असर पड़ता है। सामाजिक मानदण्ड और अपेक्षाएँ, विशेष रूप से ग्रामीण और पारस्परिक सेटिंग्स में, अभी भी व्यक्तियों के प्रजनन निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही आधुनिक जीवन में सम्बन्धों की अस्थिरता, अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ भी इस संकट को गहराती हैं। तनाव, चिंता और अवसाद प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं और बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेदारी लेने की इच्छा को कम करते हैं।

क्षेत्रीय असमानता : उच्च और निम्न प्रजनन का द्वैत– भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विशाल क्षेत्रीय विविधता है और यह प्रजनन दर के मामले में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रजनन दर की गिरावट पूरे देश में एक समान नहीं है। कई राज्यों ने पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे प्रजनन दर प्राप्त कर ली है, वहीं कुछ राज्य अभी भी उच्च प्रजनन दर बनाये हुए है, जिससे 'हाई फर्टिलिटी और लो फर्टिलिटी' की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उदाहरण के लिए बिहार (TFR 3.0), मेघालय (2.9) और उत्तर प्रदेश (2.7) जैसे राज्यों में प्रजनन पर अभी काफी अधिक है। ये राज्य अक्सर कम सामाजिक–आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच और उच्च बाल मृत्यु दर से जूझते हैं, जो उच्च प्रजनन पर में योगदान कर सकते हैं। इसके विपरीत दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और सिक्किम (TFR 1.0) जैसे राज्यों में प्रजनन दर काफी कम है, ये राज्य अक्सर उच्च साक्षरता पर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, अधिक शहरीकरण और महिलाओं की उच्च आर्थिक भागीदारी वाले होते हैं, जो कम प्रजनन दर में योगदान करते हैं।

यह क्षेत्रीय असमानता भारत के अन्दर मौजूद आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा स्तर और सामाजिक मान्यताओं में गहरे अन्तर को दर्शाती है। यह इंगित करता है कि भारत में जनसंख्या नीतियपों को राष्ट्रीय स्तर पर एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, इसके बजाय, उन्हें विशिष्ट क्षेत्रीय संदर्भों और आवश्यताओं के अनुरूप होना चाहिए।

किशोर प्रजनन दर : एक विशेष चिंता– UNFPA रिपोर्ट भारत में किशोरावस्था में मातृत्व की उच्च दर पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार, 15–19 वर्ष की लड़कियों की प्रजनन दर 14.1 प्रति 1000 है जो चीन (6.6), श्रीलंका (7.3) और थाईलैण्ड (8.3) जैसे कई एशियाई देशों की तुलना में काफी अधिक है। यह एक गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या है। किशोर मातृत्व न केवल माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न होता है। (उच्च मातृ मृत्यु दर, कम जन्म–वजन वाले बच्चे आदि), बल्कि यह शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी सीमित करता है।

कम उम्र में माँ बनने वाली लड़कियों अक्सर स्कूल छोड़ देती हैं, जिससे उनके भविष्य की सम्भावनाएँ सीमित हो जाती हैं। इससे लम्बे समय में गरीबी और असमानता की स्थिति और गम्भीर हो सकती है। क्योंकि ये युवा माताएँ और उनके बच्चे अक्सर गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भनिरोधक तक पहुँच और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है।

प्रजनन संकट बनाम जनसंख्या संकट– UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वास्तविक संकट जनसंख्या के आकार में नहीं, बल्कि लोगों की प्रजनन इच्छाओं की पूर्ति में असफलता में है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो प्रजनन दर से चुनौति को केवल आँकड़ों से परे मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वायत्तता के दृष्टिकोण में देखती है भारत में 36% लोगों ने अनचाही गर्भावस्था और 30% ने संतान पैदा करने की इच्छा पूरी न हो पाने की बात स्वीकार की, और भी आश्चर्य रूप से 23% लोग इन दोनों ही स्वास्थ्य सेवाओं, जानकारी और विकल्पों की गम्भीर कमी है। इसका मतलब है कि कई लोग या तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिनकी वे योजना नहीं बना पा रहे थे, या वे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे है, जिनकी वे इच्छा रखते हैं। यह प्रजनन अधिकारों का उल्लंघन है और यह दर्शाता है कि व्यक्तियों के पास अपने प्रजनन निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। यह 'प्रजनन संकट' एक गहरा मुद्दा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता, सामाजिक दबावों और जागरूकता की कमी से उपजा है, यह एक ऐसे समाज को दर्शाता है, जहाँ व्यक्तियों की प्रजनन स्वायत्तता को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी जाती है और जहाँ प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ और जानकारी हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है।

भारत में घटती जन्मदर के प्रभाव– घटती जन्मदर के कई दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, जिनका सामना भारत को आने वाले दशकों में करना पड़ेगाः

1. श्रमशक्ति में गिरावटः घटती हुई युवा जनसंख्या सीधे तौर पर उपलब्ध श्रमशक्ति को कम करेगी। यह विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी का कारण बन सकता है, जिससे देश की समग्र उत्पादकता और विकास प्रभावित होगा। यह उन उद्योगों के लिए भी चुनौती पेश कर सकता है जो श्रम–गहन है।

2. वृद्धजन जनसंख्या पर दबावः बढ़ती वृद्धजन जनसंख्या के साथ–साथ घटती युवा जनसंख्या का अर्थ है कि कम युवा लोग बढ़ती संख्या में बुर्जुगों का पालन–सेवा–सहायता कर रहे होगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन प्रणाली और दीर्घकालीन देखभाल पर भारी दबाव बढ़ेगा। सरकार को बुजुर्गों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करने के लिए नए वित्तीय मॉडल विकसित करने पड़ सकते हैं।

3. जनसांख्यिकीय लाभांश में गिरावटः भारत में पिछले कुछ दशकों में अपने बड़े युवा कार्यबल से असाधारण जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त किया है। जिसने इसकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है हालांकि, यह लाभांश धीरे–धीरे समाप्त हो सकता है, यदि प्रजनन दर लगातार कम होती रही। आने वाले वर्षों में भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो सकता है, जिन्हें जनसंख्या की कमी और बढ़ती उम्र के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जापान और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा गया है।

4. सामाजिक गतिशीलता पर प्रभावः घटती जन्म दर सामाजिक गतिशीलता और संरचना को भी प्रभावित कर सकती है। परिवार छोटे होंगे और एकल बच्चे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यह सामाजिक समर्थन प्रणालियों और पारस्परिक पारिवारिक सरंचनाओं पर भी प्रभाव डाल सकता है।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

भारत में घटती जन्म दर से नीतिगत उपाय व समाधान– इस बहुआयामी समस्या से निपटने के लिए भारत को एक बहुआयामी, समावेशी और मानवाधिकार आधारित नीति दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। केवल संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय, ध्यान व्यक्तियों की प्रजनन स्वायत्तता और कल्याण पर केन्द्रित होना चाहिए:

1. प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार– प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें निम्नलिखित सुझाव शामिल होने चाहिए:

i. **आधुनिक गर्भनिरोधकों तक सार्वभौमिक पहुँच:** विभिन्न प्रकार के गर्भनिरोधकों की उपलब्धता और उनके बारे में सही जानकारी प्रदान करना।

ii. **सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच:** अनचाही गर्भधारण को रोकने और सुरक्षित विकल्प प्रदान करने के लिए।

iii. **बांझपन का उपचार:** उन जोड़ों के लिए सहायता और उपचार जो बच्चे पैदा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन असमर्थ हैं।

iv. **मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण:** गर्भावस्था के दौरान और बाद में गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना जिससे मातृ और शिशु दर कम हो।

v. **यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा:** किशोरों और युवाओ को व्यापक आयु उपयुक्त यौन शिक्षा प्रदान करना ताकि वे समुचित निर्णय ले सकें।

2. संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना– सामाजिक और आर्थिक बाधाओं दूर करने के लिए निवेश आवश्यक है जो व्यक्तियों को बच्चे पैदा करने से रोकता है:

i. **गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं में निवेश:** सस्ती और सुलभ बाल देखभाल (डेकेयर, प्री–स्कूल) महिलाओं के कार्यबल में बने रहने और मातृत्व कैरियर के साथ सन्तुलित करने में मदद कर सकती है।

ii. **शिक्षा और आवास तक पहुँच:** शिक्षा के असवरों में सुधार और सस्ती और वहनीय आवास सुविधा समाधान प्रदान करना युवा परिवारों के लिए वित्तीय बोझ को कम कर सकता है।

iii. **कार्यस्थल को सुविधाएँ और नीतियाँ:** लचीले काम के घण्टे, पितृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बच्चें के देखभाल की सुविधाएँ महिला और पुरूष दोनों को पारिवारिक जिम्मेदारियों में भागीदारी करने में सक्षम बनायेगी।

iv. **आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना:** रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा जाल और आय समर्थन कार्यक्रम वित्तीय अनिश्चितता को कम कर सकते हैं।

3. सामाजिक समावेश और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देना– यह केवल सेवा का प्रश्न नहीं है बल्कि मानवाधिकार और स्वायत्तता का विषय भी है। समाज के सभी वर्गों, अविवाहित व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों और अन्य वंचित समूहों को प्रजनन सेवाओं और निर्णयों में शामिल करना जरूरी है। व्यक्तियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे स्वयं तय करें कि कब कितने और बच्चे होने चाहिए।

4. सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव को बढ़ाना देना– समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में घुली बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं को सशक्तिकरण, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी को और बढ़ावा देना चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल के लिए सामाजिक, सुरक्षा जाल और देखभाल प्रणालियाँ युवा जोड़ों को भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर सकती है।

भारत में घटती जन्म दर एक नई जनसांख्यिकीय वास्तविकता है जो सिर्फ जनसंख्या के आँड़कों से कहीं बढ़कर न्याय, समानता और स्वतंत्रता का गहरा प्रश्न है, यह हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहाँ हमें जनसंख्या के आकार के साथ–साथ उसकी गुणवत्ता, स्वास्थ्य और अधिकारों पर भी ध्यान देना होगा। वास्तविक समाधान तभी मिलेगा जब हर व्यक्ति को यह अधिकार और साधन प्राप्त हों, कि वह स्वयं तय कर सके कि कब कितने बच्चे चाहिए, या बच्चे चाहिए भी या नहीं। यह मानवाधिकार–आधारित दृष्टिकोण न केवल नैतिक रूप सही है, बल्कि लम्बी अवधि में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। यदि भारत इस बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य को एक अवसर के रूप में देखें और स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश में रणनीति निवेश करें, तो एक मजबूत और लचीला राष्ट्र बनेगा, साथ ही इस दुनिया को दिखायेगा कि जनसंख्या नीतियाँ मानवाधिकारों को केन्द्र में रखकर भी सफल हो सकती हैं। हमारा लक्ष्य ऐसा भविष्य बनाना है कि जहाँ हर किसी की प्रजनन इच्छाओं का सम्मान हो और उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी सहायता मिले, जिससे सभी के लिए समृद्ध और न्यायसंगत समाज का निर्माण हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका।
2. क्रॉनिकल मासिक पत्रिका।
3. योजना व कुरूक्षेत्र में सम्बन्धित लेख।
4. हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण में सम्बन्धित सूचना व सम्पादकीय।
5. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की 2025 की रिपोर्ट।
6. जनसंख्या भूगोल – डॉ0 एस0डी0 मौर्या।

*****